(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–सिवनी/भू0रा0/2018/5732 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 31–7–2018 – पारित व्दारा कलेक्टर, जिला सिवनी – प्रकरण क्रमांक 230–बी–21/2017–18

राजा दुबे पुत्र स्व. रबिशॅकर दुबे
ग्राम डुॅगरिया छपारा तहसील छपारा
जिला सिवनी, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर सिवनी ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 10 –2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिवनी व्दारा प्रकरण क्रमांक 230–बी–21/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 31–7–2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर जिला सिवनी को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वामित्व की ग्राम छपारा खुर्द स्थित अकृषि भूमि सर्वे नंबर 103 रकबा 0.87 हैक्टर है, जो उसे पिता से विरासत में प्राप्त हुई है, इस भूमि को वह विक्रय करना चाहता है इसलिये संहिता की म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर, जिला सिवनी ने प्रकरण क्रमांक 230–बी–21/2017–18 पॅजीबद्ध किया तथा तहसीलदार छपारा एंव अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश दिनांक 31–7–18 पारित किया तथा विक्रय अनुमति प्रदान करने की अनुमति 5 शर्तो सहित प्रदान की गई, जिसमें शर्त क्रमांक 5 इस प्रकार है :–

केता राजेश गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता को कालोनाईजर नियमों का पालन करने के पश्चात् भूखंडों के विक्रय हेतु म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 (क)

अंतर्गत प्रत्येक भूखंडों के विक्रय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर, जिला सिवनी के आदेश दिनांक 31-7-18 में अंकित उक्तांकित शर्त क्रमांक-5 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदक ने कलेक्टर जिला सिवनी से उसके स्वामित्व की ग्राम छपारा खुर्द स्थित अकृषि भूमि सर्वे नंबर 103 रकबा 0.87 हैक्टर के विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165 के अंतर्गत मांगी है। आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कलेक्टर सिवनी ने तहसीलदार छपारा एंव अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन से कराई है। तहसीलदार छपारा ने जांच कर प्रतिवेदन की कंडिका 10 में इस प्रकार टीप अंकित की है :-

> प्रश्नाधीन भूमि अकृषि भूमि ही कय की गई है। उक्त भूमि का डायवर्सन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन के राजस्व प्रकरण कमांक 76 अ 2/2017-18 का आदेश दिनांक 5-4-18 को किया गया। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 (ड, ड) का उल्लॅघन नहीं होता है।

अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन ने प्रतिवेदन दिनांक 27-6-18 में इस प्रकार निष्कर्ष अंकित किया है -

> आवेदित भूमि बैध/अवैध कालोनी में स्थित नहीं है क्योंकि आवेदित भूमि से वर्तमान में कोई प्लाट की विकी आवेदक के व्दारा नहीं की गई है जिससे कालोनाईजर अधिनियम का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है।

तहसीलदार छपारा एंव अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच प्रतिवेदनों के तथ्यों एंव मौके की स्थिति पर से कलेक्टर, जिला सिवनी व्दारा आदेश दिनांक 31-7-2018 पारित करते हुये आवेदक को ग्राम छपारा खुर्द स्थित अकृषि भूमि सर्वे नंबर 103 रकबा 0.87 हैक्टर के विक्रय की आदेश के पद 7 के उप पद के अंत में इस प्रकार अंकन करते हुये अनुमति प्रदान की है -

> आवेदक का आवेदन औचित्यपूर्ण पाने से म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा (6 क) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राजा दुबे पिता रबिशंकर दुबे निवासी डुगरिया छपारा को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की आकृषि भूमि ग्राम छपारा खुर्द ह.नं. 41 रा.नि.मंडल छपारा तहसील छपारा जिला सिवनी में स्वयं की भूमिस्वामी अधिकारों की आकृषि भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 0.87 है. को केता राजेश गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता निवासी सिवनी को एक मुश्त रकबा विकय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक व्दारा शर्त क्रमांक-5 पर उठाई गई आपत्ति एंव कलेक्टर सिवनी व्दारा आदेश दिनांक 31-7-18 में लगाई गई उपरोक्तानुसार शर्त के

अवलोकन पर पाया गया कि जब कलेक्टर सिवनी व्दारा आदेश दिनांक 31-7-18 के पद 7 के उप पद में आवेदक को संपूर्ण रकबे के विक्रय की अनुमति प्रदान की है तब शर्त क्रमांक-5 कि **"कालोनाईजर नियमों का पालन करने के पश्चात् भूखंडों के विक्रय हेतु म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 (क) अंतर्गत प्रत्येक भूखंडों के विक्रय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"** जब कलेक्टर सिवनी ने आदेश दिनांक 31-7-18 से आवेदक को ग्राम छपारा की आकृषि भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 0.87 है. के संपूर्ण रकबे के विक्रय की अनुमति एक वार प्रदान की जा चुकी है तब उसी भूमि में से विक्रय किये जाने वाले प्रत्येक भूखंड के विक्रय पर पुनः म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 (क) अंतर्गत बार-बार अनुमति लिये जाने की शर्त लगाना नियमानुकुल नहीं है जिसके कारण कलेक्टर सिवनी व्दारा आदेश दिनांक 31-7-18 में लगाई गई शर्त क्रमांक -5 अनुचित एंव आधारहीन होने से विलोपित (निरस्त) किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर सिवनी व्दारा प्रकरण क्रमांक 230-बी-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2018 में लगाई गई शर्त क्रमांक-5 नियमानुकूल न होने से विलोपित (निरस्त) की जाकर आदेश का शेष भाग यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी ऑशिक रूप स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर